बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि०व०/विविध–25–01/2022– 50,

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर (भा०प्र०से०)
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 18/06/2025

विषय:– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना तथा चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना में स्थापित केन्द्रों के संचालनार्थ कुल रू० 39,69,400/–(रू० उनचालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–650 दिनांक–16.03.2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से राज्य योजना अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा–कैट, मैट, आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक(Job-Oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा–क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना का संचालन वार्षिक व्यय रू० 45,69,400/– (रू० पैतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2–वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त केन्द्रों के संचालनार्थ विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– 49 दिनांक– 18/06/25 .... के द्वारा कार्यालय व्यय मद (13.01) में प्रति केन्द्र रू0 4,34,000/– की दर से कुल रू० 8,68,000/– (रू० आठ लाख अड़सठ हजार) मात्र तथा संविदा सेवाएँ (28 02) मद में प्रतिकेन्द्र रू० 15,50,700/– की दर से कुल रू० 31,01,400/–(रू० इकतिस लाख एक हजार चार सौ) मात्र अर्थात कुल रू० 39,69,400/– (रू० उनचालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त केन्द्रों के संचालनार्थ कार्यालय व्यय मद (13.01) में प्रति केन्द्र रू० 4,34,000/– की दर से कुल रू0 8,68,000/– (रू० आठ लाख अड़सठ हजार) मात्र तथा संविदा सेवाएँ (28 02) मद में प्रतिकेन्द्र रू० 15,50,700/– की दर से कुल रू० 31,01,400/–(रू० इकतिस लाख एक हजार चार सौ) मात्र अर्थात कुल रू० 39,69,400/– (रू० उनचालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र आवंटित की जाती है।

3– कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के तहत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0101 –शिक्षा विषय शीर्ष 13.01 कार्यालय व्यय, विषय शीर्ष 28 02 संविदा सेवाएँ विपत्र कोड–11-2225–03–277–0101. के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer)के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या–PTSPLA007 में CFMS के माध्यम से Ledger Id-16322, Ledger Name-CM Career Guidance Scheme में उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

P.T.O

5—बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम पटना के द्वारा राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—650, दिनांक—16.03.2022 में निहित दिशा—निर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया जायेगा।

6— राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, संकल्प ज्ञापांक—3808 दिनांक—02.06.2017 तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा।

7—प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8—प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9—इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

18.6.25

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— पि०व०/विविध—25—01/2022— 50. पटना, दिनांक— 18/06/2025.

प्रतिलिपि—(1) महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/महालेखाकार(अंकेक्षण, बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6) आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/ प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, पटना/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना/लेखा शाखा एवं बजट शाखा , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(7) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.6.25

सरकार के अपर सचिव